भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1908

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

महिलाओं द्वारा संचालित एमएसएमई में क्रेडिट अंतर

1908. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं द्वारा संचालित लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में क्रेडिट अंतर जिसका वर्तमान में अनुमानित मूल्य 1.37 लाख करोड़ रुपए है का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इस लगातार असमानता के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (एमएसएमई) के कितने खाते महिला उद्यमियों के हैं और मार्च 2025 तक कुल वितरित क्रेडिट में उनका हिस्सा कितने प्रतिशत है; और

(ग) महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए वितरण और क्रेडिट-गारंटी कवरेज में समानता सुनिश्चित करने के साथ महिला उद्यमियों को औपचारिक क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाने के लिए निर्धारित बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ सहयोग के लिए कौन-कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सरकार ने महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए संवितरण और क्रेडिट गारंटी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) में गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट के साथ सामान्य एमएसई को दिए जाने वाले 75 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई को दिए जाने वाले ऋण के लिए 90 प्रतिशत के क्रेडिट गारंटी कवरेज सहित किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी और तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना एमएसई को दिए जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है।

ii. महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से उनकी वार्षिक खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत तक की खरीद अनिवार्य की गई है।

iii. एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है जोकि एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों तथा ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से 39 प्रतिशत महिलाएं हैं और उन्हें सामान्य श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों (25 प्रतिशत तक) की तुलना में उच्चतर सब्सिडी (35 प्रतिशत) प्रदान की जाती है।

iv. महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय कॅयर विकास योजना के अंतर्गत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' का कार्यान्वयन करता है, जोकि एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है तथा जिसका उद्देश्य कॅयर क्षेत्र में संलग्न महिला कारीगरों के कौशल का विकास करना है।

v. खरीद और विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की सहभागिता के लिए अन्य उद्यमियों हेतु दी जाने वाली 80 प्रतिशत सब्सिडी की तुलना में महिला उद्यमियों को 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

vi. एमएसएमई मंत्रालय ने 18 व्यापारों में संलग्न महिलाओं सहित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की है।

vii. मंत्रालय ने हैंडहोल्डिंग और क्षमता निर्माण संबंधी सतत सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा और भावी महिला उद्यमियों के बीच अपनी स्कीमों के बारे में जागरुकता पैदा करने हेतु 'यशस्विनी' नामक स्कीम की शुरुआत की है।

प्राप्त सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान महिला उद्यमियों द्वारा धारित खातों की संख्या तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत संवितरित कुल ऋण राशि की प्रतिशत हिस्सेदारी निम्नानुसार है:-

विवरण	**ऋण खातों की संख्या**	**संवितरित ऋण राशि**
सभी खाते (संचित)	53.31 करोड़	33.63 लाख करोड़ रु.
महिला उद्यमी	35.76 करोड़ (67%)	14.46 लाख करोड़ रु. (43%)

*****